उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग,
पत्रांकः 73 /व0नि0स0–स0/चि0स्वा0प0क0वि0/2024
देहरादूनः दिनांक– 02, May 2024

जिला अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।

विषय : डेंगू एवं चिकनगुनिया रोकथाम एंव नियंत्रण महा अभियान कार्ययोजना विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित है कि विगत वर्षो से डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग राज्य में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग एक ही प्रजाती के मच्छर यानि एडिज मच्छर के काटने से फैलते हैं। माह जुलाई से माह नवम्बर तक का समय इन रोगों के प्रसार के लिए अनुकूल होता है। इसी कम में डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरोधात्मक कार्यवाहियां प्रबल रूप से की जानी है तथा निरन्तर समीक्षा भी की जानी है ताकि इन रोगों को महामारी का रूप लेने से रोका जा सके।

दैनिक रूप से सभी क्षेत्रों में एडिज लार्वा सर्वे किये जाए ताकि डेंगू रोग सम्भावित क्षेत्रों को समय से चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाहियां की जाए। सभी राजकीय व निजी चिकित्सालयों में डेंगू एवं चिकनगुनिया रोगियों की स्थिति पर निगरानी रखी जाए तथा रोगी की सूचना प्राप्त होने पर रोगी के निवास क्षेत्र में त्वरित रूप से निरोधात्मक कार्यवाही की जाए।

डेंगू चिकनगुनिया नियंत्रण महा अभियान के अन्तर्गत कार्ययोजना निर्मित कर निम्न कार्यवाहियाँ की जानी हैः–

1. डेंगू एवं चिकनगुनिया नियंत्रण महाअभियान के दौरान प्रत्येक आशा कार्यकत्री, आशा फैसिलिटेटर, कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर, नगर निगम/नगर पालिका, सैनेट्री सुपरवाईजर, डेंगू वॉलिटियर द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्रों में प्रतिदिन न्यूनतम 50 घरो में डेंगू निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. गृह भ्रमण के दौरान प्रत्येक कार्मिकों द्वारा अपने आवंटित घरों में ऐसे स्थानों जहां डेंगू लार्वा पनप सकते हैं, की सफाई की कार्यवाही की जाएगी तथा स्थानीय लोगो को स्वयं भी निरन्तर साफ सफाई हेतु जागरूक किया जाएगा।
3. जिन स्थानों से पानी नही हटाया जा सकता, उन स्थानो पर लार्वीसाईड का छिडकाव करना होगा।
4. टीम द्वारा स्थानीय लोगो को डेंगू से बचाव के उपाय हेतु जागरूक किया जाए तथा प्रचार–प्रसार सम्बंधी सामाग्री वितरित की जाए तथा दौनिक गतिविधियां निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रत्येक दिन अपने सुपरवाईजर को प्रेषित की जाए।
5. आर0बी0एस0के0 की टीम आशा, जिला समन्वयक आर0बी0एस0के0 कार्डिनेटर द्वारा सुपरवाईजर के रूप में कार्य किया जाएगा।
6. अन्य विभाग जैसे शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा विभाग,आई0सी0डी0एस0, लोक निर्माण विभाग (पी0डब्लयू0डी0), सिंचाई विभाग, उद्योग विभाग आदि के अधिकारियों/कार्मिकों को डेंगू रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतू नामित किया जायेगा।
7. फील्ड वर्कर के लिये दैनिक घरेलू कवरेज का लक्ष्य प्रतिदिन न्यूनतम 50 घर एवं प्रति चौथे दिन मॉप अप राउड किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

डेंगू एवं चिकनगुनिया निरोधात्मक कार्यवाहियां महाअभियान के रूप में चलायी जाए जिस हेतु **डेंगू एवं चिकनगुनिया नियंत्रण महा अभियान कार्ययोजना** का प्रस्तावित प्रारूप **(प्रारूप–01 कार्मिक ड्यूटी प्रपत्र, प्रारूप–02 कार्यवाही परिणाम प्रपत्र)** पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आप सभी यथाशीघ्र संलग्न महाअभियान कार्ययोजना को अपने जनपद के अनुसार तैयार कर क्रियान्वित करें तथा महाअभियान में की जा रही कार्यवाही की दैनिक सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को e-mail: uknvbdcp@gmail.com पर प्रेषित की जाए।

डेंगू एवं चिकनगुनिया नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विस्तृत जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या 29/व0नि0स0–स0/चि0स्वा0प0क0वि0/2024 दिनांक 29 अप्रैल, 2024 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

पत्र संख्या : 73 **तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी एन0वी0बी0डी0सी0पी0।
7. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल एवं कुमाऊ मण्डल।
8. सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner